पत्र संख्या–15/बि0स0से0–01–03/2018 सा0प्र0 2729 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पटना–15, दिनांक 28-2-19

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न कार्यालय के आदेशों द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत पदस्थापित नव नियुक्त सहायकों के वेतन भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय आदेश ज्ञापांक 498 दिनांक 01.12.2018, 514 दिनांक 07.12.2018 एवं 08 दिनांक 04.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक कार्यालय आदेशों द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत नव नियुक्त सहायकों का पदस्थापन करते हुए संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश गया है कि नव–नियुक्त सहायकों का तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेगें और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि करा लेगें। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव–नियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।"

इस संबंध में कहना है कि नवनियुक्त सहायकों का सेवा पुस्त खोल संबंधित विभाग को प्रेषित करने एवं नियुक्ति पत्र सम्पुष्टि की कार्रवाई साथ–साथ की जायेगी। अतः नवनियुक्त सहायकों का वेतन भुगतान अप्रैल, 2019 तक औपबंधिक रूप से जारी रखने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/2/19

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।